उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अर्न्तगत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की दिनांक 16 मार्च, 2018 को सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में अधिकारियों की उपस्थितिः–

1. डा0 रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति।
2. श्री सी0एम0एस0 बिष्ट, सदस्य, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
3. प्रो0 अरूण बहुगुणा, सदस्य, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
4. प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, सदस्य, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
5. श्री रीतेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, न्याय)।
6. श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउंटेण्ड, सदस्य, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
7. श्री एस0एस0 रावत, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिध सचिव, चिकित्सा शिक्षा)।
8. डॉ0 अंजू अग्रवाल, नोडल अधिकारी, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
9. डॉ0 आशुतोष सयाना, निदेशक (नोडल अधिकारी), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
10. प्रो0 अनूप कुमार गक्कर, कुलसचिव, उत्तराखण्ड आर्युवेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
11. डॉ0 अनिरूद्ध गुरूप्रताप सिंह, सीमा डेन्टल कॉलेज, ऋषिकेश, देहरादून।
12. डॉ0 मीरू एस0, प्रतिनिधि, उत्तरांचल डेण्टल कॉलेज, माजरी ग्राण्ट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. श्री प्रद्युमन बिष्ट, अभिभावक प्रतिनिधि।
14. श्री वाई0डी0 काला, अभिभावक प्रतिनिधि।
15. श्री राकेश कुमार चौहान, अभिभावक प्रतिनिधि।
16. श्री ओमप्रकाश चौहान, अभिभावक प्रतिनिधि।
17. श्री अरविन्द कुमार, अभिभावक प्रतिनिधि।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा समिति के सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि मा0 अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा वर्तमान बैठक में प्रतिभाग किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है। मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में बैठक को सम्पन्न कराये जाने हेतु समिति के सदस्यों के मध्य विचार–विमर्श किया गया।

1.1 सदस्य–सचिव, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–4(6) में निम्न प्राविधान उल्लिखित है :–

4(6). समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति द्वारा सदस्यों में से किसी एक को विशेष बैठक की अध्यक्षता के लिया चुना जायेगा तथा समिति जैसे उचित समझे स्वयं की प्रकिया अपना सकती है।

अधिनियम के उक्त में प्राविधान के कम में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वरिष्ठता के आधार पर सदस्य सचिव, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति को ही दिनांक 16 मार्च,

2018 को आहूत प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की विशेष बैठक हेतु अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

2. समिति द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड से चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई।

2.1 उक्त के क्रम में डा0 आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल एंव डेन्टल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के संबंध में दिनांक 13.03.2018 को उपसमिति की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में हिमालयन इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड साईंसेज, जौली ग्रान्ट, देहरादून; श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज कोटडा सन्तूर देहरादून, श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईंसेज, पटेलनगर, देहरादून से कोई शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

2.2 डा0 आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश द्वारा बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही आगामी सत्र हेतु निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट माजरी, देहरादून का शुल्क पूर्व में निर्धारित नहीं किया गया है। संस्थान द्वारा बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण हेतु, जो प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया वह अपूर्ण है। वर्तमान में उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून द्वारा सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश के बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही उनके संस्थान हेतु निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

2.3 डा0 आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समिति के समक्ष यह भी अनुरोध किया गया कि बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित कुल सीटों में सरकारी एंव प्रबन्धकीय कोटे की सीटों का विभाजन भी समिति द्वारा किया जाना है। पूर्व में उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट माजरी, देहरादून एवं सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश में बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीट सरकारी एवं 50 प्रतिशत सीट प्रबन्धन कोटे की निर्धारित की गई है।

2.4 समिति को अवगत कराया गया कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को आहूत बैठक में सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश के बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु निम्न शुल्क निर्धारित किया गया है:–

क्र0 स0	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	बी0डी0एस0	2015–16, 2016–17 एवं 2017–18	रू0 2,15,000/–
2.	एम0डी0एस0	2015–16, 2016–17 एवं 2017–18	रू0 7,09,000/–

2.5 समिति द्वारा सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश के प्रतिनिधियों को उनका पक्ष सुने जाने हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये। समिति द्वारा संबंधित संस्थान के प्रतिनिधियों (डा0 अनिरूद्ध गुरूप्रताप सिंह) को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–4(14) में शुल्क एक बार में तीन वर्ष के लिए निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश का शुल्क पूर्व में तीन वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। 03 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अतः वर्तमान में उनके द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क का "पुनरीक्षण"(revision) कराया जा सकता है।

2.6 सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि विगत वर्ष में पीजी पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित कुल सीटों में से कुछ सीटें कई कारणों से रिक्त रह गईं थीं। वर्तमान में वे बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही आगामी तीन वर्षों के लिए एवं कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सरकारी व 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे हेतु निर्धारित करना चाहते है।

2.7 समिति द्वारा उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून के प्रतिनिधियों को उनका पक्ष सुने जाने के हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये। उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून के प्रतिनिधि डॉ0 मीरू एस0 द्वारा समिति से अनुरोध किया गया कि सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश के बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही उनके संस्थान हेतु निर्धारित किया जाय एंव कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सरकारी व 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे हेतु निर्धारित की जाय।

विचार–विमर्शोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश एवं उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट माजरी, देहरादून में बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत कुल सीटों में 50 प्रतिशत सरकारी व 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे हेतु निर्धारित की जायं। सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश में बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–2020 एवं 2020–21 हेतु अंतिम रूप से निम्न शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 स0	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	बी0डी0एस0	2018–19, 2019–2020, 2020–2021	रू0 2,15,000/–
2.	एम0डी0एस0	2018–19, 2019–2020, 2020–2021	रू0 7,09,000/–

चूंकि उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट माजरी, देहरादून में बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु समिति द्वारा पूर्व में भी कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए छात्रहित के दृष्टिगत उक्त संस्थान का अंतरिम रूप से निम्न शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 स0	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	बी0डी0एस0	2018–19, 2019–2020, 2020–2021	रू0 2,15,000/–
2.	एम0डी0एस0	2018–19, 2019–2020, 2020–2021	रू0 7,09,000/–

उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे बी0डी0एस0 एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों के अंतिम शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु परिपक्व प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यावाहीः चिकित्सा शिक्षा विभाग)

3– प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति को अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्र संख्याः–C.18010/05/15–MEP/ME.IV(Pt.I) दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निजी मेडिकल कॉलेजों/डेन्टल कॉलेजों का शुल्क, शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27.09.2017 को आहूत बैठक में संज्ञान में आया है कि कॉलेजों द्वारा शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूल किया जा रहा है। शुल्क समिति द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में सभी अवयवों (All Component) का उल्लेख किये जाने का सुझाव भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

3.1 इस हेतु विशेष रूप से श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाए।

(कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा/आयुष शिक्षा/संस्कृत शिक्षा)

4– प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के सम्मुख श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा शैक्षिक सत्र 2016–17 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने संबंधी शिकायत एवं एम0बी0बी0एस0/पी0जी0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 में पूर्व में निर्धारित शुल्क को "पुनरीक्षण"(revision) किये जाने संबंधी प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है।

4.1 अवगत कराया गया है कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 10 जून 2017 में श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने संबंधी शिकायत के संबंध में संस्थान को तीन सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2017 में संबंधित संस्थान के प्रतिनिधि श्री विनय मोहन एवं डा0 मोहन सिंह द्वारा समिति से अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में समिति द्वारा आगामी बैठक में संबंधित संस्थान को पक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान गये। प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2017 में संबंधित संस्थान द्वारा

एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क का "पुनरीक्षण"(revision) किये जाने अनुरोध किया गया। उक्त बैठक में समिति द्वारा अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत एवं एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क का "पुनरीक्षण"(revision) किये जाने के संबंध में निर्णय आगामी बैठक में लिये जाने का निर्णय लिया गया।

4.2 प्रकरण के संबंध में यह भी अवगत कराया गया कि श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने के संबंध में प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न बैठक में संबंधित संस्थान के पक्ष को विस्तृत रूप से सुना गया। संबंधित संस्थान के अनुरोध के बाद समिति द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क को "पुनरीक्षण"(revision) किये जाने के संबंध में लिखित नजीर/बहस को दाखिल किये जाने हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुये शिकायत के संबंध में अंतिम निर्णय आरक्षित किया गया है।

4.3 समिति के निर्देशों के क्रम में श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2017 के माध्यम से एम0बी0बी0एस एवं पीजी पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क "पुनरीक्षण"(revision) का आवेदन, निर्धारित शुल्क को रिब्यू किये जाने हेतु civil procedure code, 1980, section 114, order 47 rule-1 की प्रति एवं Board of control for cricket v/s Netaji cricket Club, 2005 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

4.4 प्रस्तुत अनुरोध पत्र में संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि शुल्क समिति द्वारा शुल्क निर्धारित करते समय संस्थान की भौगोलिक स्थिति, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति, उनकी आवश्यकताएं, भूमि तथा भवन का मूल्य, अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता तथा उपलब्धता, प्रशासन तथा निरीक्षण पर व्यय, प्रशासकीय व्ययों की वृद्धि तथा विकास के लिए सरप्लस की आवश्यकता, अन्य कारक एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs State of Maharastra में प्रदत्त दिशा–निर्देश का ध्यान नहीं रखा गया। समिति द्वारा निर्धारित फीस बहुत कम है तथा इसमें मूल्य वृद्धि तथा संस्थान के विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि जैसा भी प्राविधान नहीं किया गया तथा विरोध के साथ दिनांक 18.04.2015 को परास्नातक पाठ्यक्रमों तथा 12.04.2015 को MBBS पाठ्यक्रम की फीस पुनः निर्धारित करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि PG छात्रों प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में देय छात्रवृत्ति कमशः रू0 34,000, 37,000 एवं 40,000 को राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांकः 14 सितम्बर, 2016 द्वारा बढ़ा दिया गया है। अतः स्थिति यह है कि छात्र की छात्रवृत्ति अधिक है और फीस कम है, जिससे संस्थान को हानि हो रही है। संस्थान का यह भी कथन है कि जो फीस निर्धारित की गयी है। वह पूरे देश में सबसे कम है तथा संस्थान के खर्चे 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़ गये हैं। उपरोक्त आधार पर संस्थान द्वारा निम्नवत् फीस "पुनरीक्षण"(revision) करने का अनुरोध किया गयाः–

क्र0 स0	पाठ्यक्रम	प्रस्तावित शुल्क
1.	MBBS	16.70 लाख
2.	MD/MS(clinical)	24.36 लाख
3.	MD/MS(non clinical)	22.48 लाख

4.5 समिति को अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान द्वारा पूर्व में एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु निम्न शुल्क प्रस्ताव प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को उपलब्ध कराया गया था:–

S.No	Name of Course	Fees
1.	MBBS	Rs. 7,40,000/-
2.	MD/MS(clinical)	Rs. 12,54,000/-
3.	MD/MS(non clinical)	Rs. 8,60,000/-

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की दिनांक 16.04.2015 एवं दिनांक 17.04.2015 को आहूत बैठक में श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2015–16, 2016–17, 2017–18 में प्रबन्धकीय कोटे हेतु रू0 5,00,000/– प्रतिवर्ष एवं दिनांक 26.03.2015 को आहूत बैठक में परास्नातक क्लीनिकल पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2014–15, 2015–16 2016–17 में राजकीय कोटे हेतु रू0 738835/– प्रतिवर्ष, प्रबन्धकीय कोटे हेतु रू0 1010937/– प्रतिवर्ष एवं परास्नातक नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2014–15, 2015–16 2016–17 में राजकीय कोटे हेतु रू0 506697/–प्रतिवर्ष, प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु रू0 693306/– प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के निर्णय के पश्चात चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उक्त निर्धारित शुल्क के संबंध में क्रमशः दिनांक 07 मई, 2015 एवं 08 अप्रैल, 2015 को विधिवत् आदेश जारी किये गये है, किन्तु वर्तमान में संस्थान द्वारा एमबीबीएस/पी0जी पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु निम्न नवीन शुल्क ढांचा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव अपीलीय प्राधिकरण/प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को उपलब्ध कराया गया है:–

S.No	Name of Course	Fees
1.	MBBS	Rs. 16,70,000/-
2.	MD/MS(clinical)	Rs. 24,36,000/-
3.	MD/MS(non clinical)	Rs. 22,48,000/-

4.6 समिति को अवगत कराया गया कि अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–12(1) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अथवा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति के आदेश से सहमत न हो तो आदेश प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकती है। संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2018 में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क

नियामक समिति के निर्णय के विरूद्ध पत्र दिनांक 18 मई, .2015 के द्वारा परास्नातक पाठ्यक्रम एवं पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2015 के द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकरण को अपील प्रेषित की गई है। संस्थान के कथनानुसार उक्त संबंध में अनुस्मारक पत्र दिनांक 02.02.2016, 29.02.16, 22.08.2016, 25.02.17 एवं 28.03.2017 भी प्रेषित किये गये हैं।

4.7 इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि अधिसूचना संख्या 33, दिनांक 31 जनवरी, 2018 से पूर्व अपीलीय प्राधिकरण अस्तित्व में ही नहीं था। अपीलीय प्राधिकरण के अस्तित्व में न होने की सूचना संबंधित संस्थान के संज्ञान में पूर्व से ही थी। अपीलीय प्राधिकरण के अस्तित्व में न होने के बावजूद संस्थान द्वारा प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के निर्णय के विरूद्ध तत्समय मा0 उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका योजित नहीं की गयी और अपने स्तर से ही निर्धारित शुल्क में तीन गुना बढोत्तरी कर छात्र–छात्राओं से वसूल किया गया है। अधिक शुल्क वसूल किये जाने के संबध में संस्थान के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री प्रद्युम्न बिष्ट के पत्र दिनांक 27 मई, 2017 के माध्यम से समिति को शिकायत प्राप्त होने के पश्चात श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2017 को मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1847 ऑफ 2017 योजित की गई, जिसमें शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 16.04.2015 एवं दिनांक 17.04.2015 को आहूत बैठक में निर्धारित शुल्क के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07 मई, 2015 को निरस्त किये जाने, अपीलीय प्राधिकरण का गठन किये जाने एवं शैक्षिक सत्र 2015–16, 2016–17 व 2017–18 में निर्धारित शुल्क के संबंध में संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को पुनः शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की अपेक्षा मा0 न्यायालय से की गई है। उक्त प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

4.8 प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के आदेश के विरूद्ध अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–12(1) में निर्धारित समयावधि (आदेश प्राप्ति के दस दिन के भीतर) के अन्तर्गत श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून की कोई अपील, जो अपीलीय प्राधिकरण को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई है, प्राप्त नहीं हुई है। प्रथमबार संबंधित संस्थान के पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से अपील संबंधी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ। उक्त संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से एमबीबीएस/पी0जी0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु नवीन शुल्क ढांचा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव अपीलीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में उक्त अपील अपीलीय प्राधिकरण में लम्बित है।

4.9 अपर सचिव, न्याय द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को पूर्व निर्धारित शुल्क को रिब्यू करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उक्त अधिनियम में अपील किये जाने का प्राविधान अंकित है। संबंधित संस्थान द्वारा अपीलीय प्राधिकरण में अपील की गई है।

4.10 समिति के सम्मुख उक्त प्रकरण के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट भी यह तथ्य सिद्ध करती है कि

श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूला हैं।

4.11 समिति के सम्मुख शिकायकार्ता श्री प्रद्युम्न बिष्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये 150 छात्र–छात्राओं का शुल्क विवरण प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून के परिपत्र संख्या 14729, दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा प्रबन्धकीय कोटे हेतु 17,20,000/– शुल्क दिनांक 31.05.2017 तक जमा करने के आदेश एवं वर्ष 2016–17 में छात्र–छात्राओं से वसूल किये गये शुल्क की सूची भी प्रमाणित करते है कि संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया गया है। संबंधित संस्थान द्वारा अधिक शुल्क लिये जाने के आरोप को अस्वीकार भी नहीं किया गया है।

4.12 समिति द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रद्युम्न बिष्ट एवं अन्य समिति के सम्मुख उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। बच्चों को अध्ययन कराये जाने हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा समिति से अनुरोध किया गया कि इस बात का भी ध्यान रखा जाय उक्त शिकायत से पश्चात संबंधित संस्थान पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके बच्चों का उत्पीड़न एवं शोषण न करें।

4.13 श्री सी0एम0एस0 बिष्ट, सदस्य, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि संस्थान द्वारा वर्तमान में तीन गुना से अधिक शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्थान द्वारा "पुनरीक्षण"(revision) करने का उद्देश्य कदाचित निर्धारित शुल्क से अधिक वसूल किये गये शुल्क को नियमित करना है।

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा–4(14) में प्राविधान है कि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान के लिए 03 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्थान शुल्क के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगी। इस प्रकार निर्धारित शुल्क उस अभ्यर्थी पर लागू होगा, जिसने कि संस्थान में उस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है तथा उस महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक उस शुल्क का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून का पुनरीक्षण आवेदन अधिनियम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान "प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम" अधिनियम–2006 की धारा–4(14) से बाधित है। अतः वर्ष 2015–16 का निर्धारित शुल्क वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार PG, MD courses की फीस सत्र 2014–15, 2015–16, 2016–17 में पुनरीक्षित करने की मांग की जा रही है। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून का वर्ष 2016–17 का फीस "पुनरीक्षण"(revision) का आवेदन निरस्त कर दिया जाय।

प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की पूर्व एवं वर्तमान बैठकों में प्रस्तुत तथ्य/प्रमाण इस बात की पुष्टि करते है कि श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के शैक्षणिक शुल्क 2016–17 में प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से तीन गुना से अधिक शुल्क वसूल किया गया है। समिति द्वारा विचार–विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–4(15) के अन्तर्गत श्री गुरू राम राय इन्स्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज, पटेल नगर, देहरादून को इस आशय का कारण बताओं नोटिस निर्गत किया जाय कि क्यों न निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में उनके विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग)

5. प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2014–15 में अधिक शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार–विमर्श किया गया।

5.1 समिति को अवगत कराया गया कि श्री ओम प्रकाश चौहान (अभिभावकगण प्रतिनिधि) ग्राम–अतमलपुर, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.11.2017 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव/सदस्य–सचिव, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया है कि पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून से सम्बद्ध है। उक्त संस्थान द्वारा अपनी विवरण–पुस्तिका (prospectus) में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क रू0 80,500/– उल्लिखित की गई, किन्तु शैक्षिक सत्र 2014–15 से उक्त संस्थान द्वारा अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 1,60,000.00 वसूल किये जा रहे है। उक्त संस्थान द्वारा बढ़ा हुआ शुल्क जमा न करने वाले छात्र–छात्राओं को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की दिनांक 24.11.2017 से प्रारम्भ हुई मुख्य परीक्षा में सम्मिलित न कर उत्पीडन किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है।

5.2 श्री चौहान द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि उनके बच्चों का प्रवेश शैक्षिक सत्र 2014–15 में पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार में बी0ए0एम0एस0 प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश (प्रवेश निर्धारण शुल्क पर ही लिये जायें) दिनांक 30.10.2014 के अनुपालन में प्रवेश के अन्तिम दिवस दिनांक 31.10.2014 को उक्त संस्था के प्राधानाचार्य द्वारा अभिभावकों को दबाव में लेकर पूर्वतम निर्धारित शिक्षण शुल्क रू0 80500/– के स्थान पर रू0 1,60,000.00 जमा कराकर प्रवेश लिये थे, जो कि पूर्णतः अनुचित है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या 2287, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू0 80500.00 के स्थान पर रू0 2,15,000.00 पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शुल्क पुनरीक्षण आदेश शुल्क नियामक समिति के अन्तिम आदेशों के अधीन रखा गया है। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,

हर्रावाला, देहरादून के पत्र संख्या 1628/उ0आ0वि0/06/लो0सू0अ0–3/2015–16, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से भी स्पष्ट हे कि पुनरीक्षण शिक्षण शुल्क रू0 2,15,000.00 प्रति वर्ष, प्रति छात्र सत्र 2015–16 से ही लागू होगा न कि सत्र 2014–15 से। श्री चौहान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों अनुपालन में यथाशीघ्र शुल्क निर्धारण समिति की बैठक आहूत कर उक्त प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

5.3 श्री चौहान द्वारा विशेष अपील संख्या 214 ऑफ 2016 शालिनी सिंह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 07.09.2017 को पारित आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है, जिममें मा0 न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को शुल्क के संबंध में शुल्क समिति को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये विशेष अपील को निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

5.4 समिति को अवगत करवाया गया कि छात्र हित के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से कुलसचिव, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किये जाने तक बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार की विवरण–पुस्तिका (prospectus) में उल्लिखित फीस 80,500/– ही वसूल की जाय। समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किये जाने के पश्चात ही अंतर की धनराशि यथास्थिति समायोजित की जायेगी। सभी छात्र–छात्राओं को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करते हुये छात्र उत्पीडन को रोके जाने हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये मा0 प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को अवगत कराया जाय।

5.5 पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या पी0एस0सी0/808, दिनांक 15.12.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि पाठ्यक्रम बी0एस0एम0एस0 शैक्षिक सत्र 2014–15 की तृतीय व्यवसायिक लिखित परीक्षा दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हो चुकी है, जबकि शासन का पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को वाट्सअप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संस्थान द्वारा सत्र 2014–15 से ही शिक्षण शुल्क रू0 1,60,000.00 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष लिया जा रहा है, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2014 के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। संस्थान के कथनानुसार शिक्षण शुल्क वृद्धि के विरूद्ध छात्र–छात्राओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ तथा खण्ड पीठ में योजित वाद के सापेक्ष भी शिक्षण शुल्क के संबंध में कोई राहत प्रदान नहीं की गई है तथा शासन के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 द्वारा दिये गये निर्देश मा0 न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अवमानना है। संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 362, दिनांक 18.09.2015 के क्रम में सत्र 2015–16 से बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु अंतरिम शुल्क 2,15,000/– प्रतिछात्र प्रतिवर्ष लेना प्रारम्भ कर दिया हैं।

5.6 श्री ओम प्रकाश चौहान द्वारा अपने दिनांकरहित प्रत्यावेदन के माध्यम से पुनः अवगत कराया गया कि शासन के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार ने आदेशों की अवहेलना करते हुए छात्रों का लगातार उत्पीड़न जारी रखे हुए है। संबंधित संस्थान के प्राचार्य द्वारा उसकी वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया।

5.7 समिति द्वारा अभिभावकों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में अभिभावक प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश चौहान, श्री वाई0डी0 काला, श्री राकेश कुमार चौहान एंव अरविन्द कुमार उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा उनके बच्चों को अभी तक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। संबंधित संस्थान में सत्र 2014–15 से पूर्व एंव सत्र 2014–15 के पश्चात भी सरकारी सीटों एंव प्रबन्धकीय सीटों का विभाजन नहीं था। संस्थान द्वारा सरकारी सीटों एवं प्रबन्धकीय सीटों का विभाजन सत्र 2014–15 में ही किया गया है। पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा अध्ययनरत छात्रों से आगामी अवधि का शुल्क भी अग्रिम रूप से जमा कराया जा चुका है। संस्थान द्वारा सत्र 2014–15 में सरकारी सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं से रू0 80,500/– का शुल्क एवं प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेशित छात्र–छात्राओं से रू0 1,60,000.00/– वसूल किया जा रहा है। प्रबन्धकीय कोटे के छात्र–छात्राओं को मुख्य परीक्षा अभी तक सम्पन्न नहीं करायी गई है।

5.8 प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के सदस्य श्री सी0एम0एस0 बिष्ट, प्रो0 जगत सिंह बिष्ट एवं प्रो0 अरूण बहुगुणा द्वारा पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के उत्पीड़न पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं उक्त संबंध में कठोर कार्यवाही किये जाने का सुझाव प्रदान किया गया।

5.9 अपर सचिव, न्याय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–4(7), 4(8) एवं 4(15)(ख) में प्रवेश एवं शुल्क के संबंध में प्राविधान उल्लिखित है।

5.10 समिति द्वारा अभिभावकों के पक्ष को सुनने के पश्चात पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार का पक्ष सुनने हेतु उनके प्रतिनिधियों को बुलाने की अपेक्षा की गई। कुलसचिव, उत्तराखण्ड, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार को समिति की बैठक में उपस्थित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी थी, किन्तु संबंधित संस्थान को कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं।

5.11 समिति द्वारा प्रभावित छात्रों की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु कुलसचिव, उत्तराखण्ड, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को निर्देशित किया गया। कुलसचिव, उत्तराखण्ड, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा प्रभावित छात्रों की परीक्षा, माह अप्रैल, 2018 में सम्पन्न होने वाली परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने का आश्वासन प्रदान किया गया।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं विशेष अपील संख्या 214 ऑफ 2016 शालिनी सिंह व अन्य बनाम भारत संघ में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 07.09.2017 को पारित आदेश के क्रम में अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आलोक में समिति द्वारा पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार के बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया है। चूंकि पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण हेतु कोई भी प्रस्ताव/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे तथा समिति के समक्ष मात्र वर्ष 2014 में

उत्तराखण्ड राज्य के निजी अनानुदानित मेडिकल/डेन्टल कॉलेज के संघ द्वारा निर्गत विवरण–पुस्तिका (prospectus) की प्रति उपलब्ध है। विवरण–पुस्तिका (prospectus) के अनुसार बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के सत्र 2014–16 में फीस रू0 80,500/– निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा–4(14) में शुल्क एक बार में तीन वर्ष के लिए निर्धारित किये जाने का प्राविधान है।

विचार–विमर्शोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्गत विवरण–पुस्तिका (prospectus) के आधार पर पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार के बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2014–15, 2015–16 एंव 2016–17 हेतु शुल्क रू0 80,500/– अंतरिम रूप से निर्धारित किया जाता है। संबंधित संस्थान को इस आशय का नोटिस भी निर्गत किया जाय कि यदि उक्त निर्णय के विरूद्ध संस्थान कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहती है, तो समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें एंव अध्ययरत छात्र–छात्राओं को तृतीय व्यवसायी परीक्षा में बैठने से रोकने हेतु समिति के समक्ष अपना प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही आयुष शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग)

अन्त में बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

3/7/2018

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अध्यक्ष/सदस्य सचिव,
प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 675 /XXIV(3)–49(06)/2012
देहरादून : दिनांक 3 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त सदस्य–प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. नोडल अधिकारी, (उच्च शिक्षा), प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव